प्रेस नोट
दिनांक 23.03.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्या के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज यादव पुत्र लल्ले यादव निवासी बनियन पुरवा, उल्टहवा माझा पसका, थाना परसपुर जनपद गोण्डा को खजुआ पसका पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.03.2026 को उपनिरीक्षक सावन सिंह मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त/चेकिंग में भ्रमणशील थे। इसी दौरान पसका पुल के आगे एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम नीरज यादव पुत्र लल्ले यादव निवासी बनियन पुरवा, उल्टहवा माझा पसका, थाना परसपुर जनपद गोण्डा बताया गया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. नीरज यादव पुत्र लल्ले यादव निवासी बनियन पुरवा, उल्टहवा माझा पसका, थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–115/2026, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सावन सिंह।
02. का0 राम नरेश यादव।
03. का0 सुभाष चन्द।

मीडिया सेल, गोण्डा।